SHRI RANJITSINH VIJAYSINH MOHITE-PATIL: How many roads have been sanctioned under BOT and how much toll tax are you collecting? I would also like the hon. Minister to give me details of the projects.

SHRI KAMAL NATH: This question is rather a broad question. But, I will be happy to tell the Member that in the year 2009-2010 we will be collecting a toll of Rs. 1495 crores and the total number of kilometers for which we are collecting toll is 5434 kilometres of the total stretches of 141 and eight bridges amounting to 8510 kilometres which includes 42 stretches under BOT, six stretches under SPVs and there are some bridges on some stretches. So, the total toll collection budgeted for 2009-1010 is Rs. 1495 crores.

श्रम कानूनों में संशोधन

*186. **श्री कप्तान सिंह सोलंकी** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रम कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रम कानूनों में संशोधन करने हेतु सरकार को कुल कितने सुझाव मिले हैं; और

(घ) क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (घ) श्रम कानूनों को अर्थव्यवस्था की उभर रही जरूरतों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा/अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार को समय-समय पर विभिन्न पणधारियों से सुझाव प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा पणधारियों के हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से उनके साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात श्रम कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन किए जाते हैं, जहां इन सुझावों पर भी विचार किया जाता है।

तदनुसार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 जैसे अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 नामक एक नया अधिनियम भी बनाया गया है। इसके अलावा, श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणियों को प्रस्तुत करने और रजिस्टरों के रख-रखाव से छूट) अधिनियम, 1998, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा बागान श्रम अधिनियम, 1951 जैसे अधिनियमों में संशोधन हेतु संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं।

Amending labour laws

†*186. SHRI KAPTAN SINGH SOLANKI: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government is contemplating amendments in labour laws;

(b) if so, the details thereof;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) the total number of suggestions received by Government for amendments in labour laws; and

(d) whether Government is considering these suggestions?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Review/updation of labour laws is a continuous process in order to bring them in tune with the emerging needs of the economy. The Government receives suggestions from various stake holders from time to time. The required changes in the labour laws are accomplished by the Government after detailed consultation with the stake holders with a view to harmonize their interests, where these suggestions are also considered.

Accordingly, amendments to Acts like the Payment of Wages Act, 1936, the Payment of Bonus Act, 1965, the Apprentices Act, 1961, the Payment of Gratuity Act, 1972 and the Workmen's Compensation Act, 1923 have been carried out and a new Act, namely, the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008 has been enacted. Besides, Bills to amend Acts like the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, the Employees' State Insurance Act, 1948, the Industrial Disputes Act, 1947 and the Plantations Labour Act, 1951 have been introduced in the Parliament.

श्री कप्तान सिंह सोलंकी: मान्यवर सभापति महोदय, प्रश्न का उत्तर तो काफी समाधान कारक है, लेकिन उसका परिणाम नहीं दिखता। श्रम कानून से संबंधित जो प्रश्न है, यह देश की 1/3 आबादी से ज्यादा, जो लगभग 40 करोड़ है, पर असर करता है। कानून जिनके लिए बनाये गए हैं, उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए। जो समय-समय पर आर्थिक व्यवस्था उभर रही है, उसके अनुसार मंत्री महोदय का कहना है कि कानून में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन देखने को यह मिलता है कि श्रम कानून 1998, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियिम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियिम 1947 तथा बागान श्रम अधिनियम 1951 जैसे अधिनियम संशोधन हेतु अभी भी संसद में पड़े हुए हैं। इससे यह विरोधाभास सामने आता है कि समय के परिवर्तन के साथ आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो चीज मिलनी चाहिए, उसके लिए कानून नहीं बन रहे हैं।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी: सर, मेरा प्रश्न यह है कि इतने अधिनियम जो संशोधन के लिए पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनमें योग्य परिवर्तन कब तक होगा?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, हमने जो चन्द कानून इस सदन में amendment के लिए पेश किए हैं, वे तो अभी आये नहीं हैं, लेकिन हमारी यह कोशिश रहेगी और हम pursue कर रहे हैं कि वे amendments जल्द से जल्द होकर आएँ ताकि हमारे वर्कर्स को उनका benefit मिले। आपने जो बात कही, वह सही है कि जो भी कानून होते हैं, वे वर्कर्स की भलाई के लिए होते हैं और वे जल्द से जल्द परिवर्तित होने चाहिए, खास कर जब आर्थिक सुधार होता है या जब आर्थिक परिस्थिति बदलती है तो कानून में भी समय-समय पर थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। उसी लिहाज से हमने जो चन्द कानून अमेंड किए हैं, उनकी जानकारी मैंने दी है। दूसरे बहुत से कानूनों के बारे में भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि time to time इनमें amendment किया जाए। इसके लिए दोनों पार्टियाँ और गवर्नमेंट, अगर इन तीनों के सुझाव एक होते हैं तो उसी वक्त वे कानून के रूप में बाहर

निकलते हैं। हम यह पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि एक तरफ ट्रेड यूनियन लीडर्स जो कि वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स होते हैं और दूसरी तरफ एम्प्लायर्स तथा गवर्नमेंट, इन तीनों संस्थाओं को मिलकर इन कानूनों में सुधार लाना है और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : सभापति महोदय, इस उत्तर से हमारी लाचारी प्रकट होती है कि श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए हमें जो गंभीरता से विचार करना चाहिए, हम वह नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आज देश भर की अदालतें श्रमिकों के साथ जो अन्याय हुए हैं, ऐसे मामलों से भरी पड़ी हैं। दुर्घटनाएं होती हैं, श्रमिकों की मौत होती है, लेकिन उनको मुआवजे नहीं मिलते, उनके प्रकरण लम्बित पड़े रहते हैं। हम सोच सकते हैं कि इसके कारण उन परिवारों को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता होगा। कठिनाइयां हो सकती हैं, क्योंकि अदालत है, लेकिन हम सरकार हैं ...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : तो सरकार ने इस प्रकार की परिस्थितियों से निबटने के लिए, ताकि मुकदमों का जल्दी निबटारा हो सके, क्या किया है, कोई नीति बनाई है या इस प्रकार की समस्याओं में भी हम अपनी लाचारी के कारण श्रमिकों को इसी प्रकार परेशानी में पड़ा रहने देंगे? कृपया इसे बताने की कृपा करें।

एक माननीय सदस्य : Maiden question.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, यह ट्रिब्यूनल से संबंधित क्वेश्चन है और कोर्ट के बारे में मेरे पास अभी इन्फॉरमेशन नहीं है, अगर माननीय सदस्य इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।

दूसरी बात इन्होंने जो कही कि हम लोग लाचार हैं और कानून में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। बहुत से कानूनों में हमने अमेंडमेंट्स किए हैं। आप जानते हैं कि Payment of Wages Act में, Payment of Bonus Act में, Apprentices Act में, Maternity Benefit Act में, Workmenङs Compensation Act में, Payment of Gratuity Act में और बहुत से Acts में हमने अमेंडमेंट्स किए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गवर्नमेंट वर्कर्स के बारे में बहुत कंसर्न है, जितने आप कंसर्न हैं, उतनी ही कंसर्न गवर्नमेंट भी है और मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं पूरी कोशिश करुंगा कि जो पेंडिंग हैं, उनको जल्द से जल्द अमल में लाने की हम कोशिश करेंगे।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा कि कानून बन रहे हैं और उनमें अमेंडमेंट्स आएंगे और सभी से बातचीत की कोशिश हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसिज़ में छोटे-छोटे काम करने के लिए जो कांट्रेक्ट पर लोग रखे जाते हैं, उनको सेलरी नहीं मिलती है, उनको वे सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो एक पार्ट-टाइम या डेली वेजिस गवर्नमेंट इम्प्लाई को दी जाती हैं? क्या मंत्री जी इस बारे में ध्यान देंगे? कई बार कह दिया जाता है कि बजट नहीं है, इसलिए कांट्रेक्टर पेमेंट नहीं कर रहा। क्या मंत्री जी इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जब तक कानूनों में सुधार नहीं हो सकता, अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते, तब तक उनको यह कहा जाए कि इनको टाइम पर सेलरी मिले और बाकी सारी सुविधाएं मिलें? क्या इस बारे में मंत्री जी सोचेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह एक अच्छा सुझाव है, इसके बारे में मैं जरूर कोशिश करुंगा, क्योंकि Minimum Wages Act है या दूसरे Acts हैं, Social Security Act है, इनके तहत इनको कुछ मिलेगा। लेकिन parity के बारे में इन्होंने जो बात की, उस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि कांट्रेक्ट लेबर को भी न्याय मिले। यह अच्छा सुझाव है, मैं स्वीकार करता हूं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the hon. Minister in the first sentence of his reply said, Review/updation of labour laws is a continuous process in order to bring them in tune with the

emerging needs of the economy. I think the problem starts here. I would say, rather the approach should be, the labour laws review/updation is a continuous process to take care of the labour in view of the changes in the economic situation, because labour is the most vulnerable section of the society. That is precisely because some of the Bills that are pending are not in the interest of the labour. That is why my sister has just asked the question that contract labour, in spite of being clearly defined in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, are not being paid same wages for same and similar kind of job and the Government departments are the highest violators of the Act.

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: So, my question is: Whether the Government is considering a change in the approach that the labour laws are meant for protecting the most vulnerable section of the society and not to meet the needs of your economy which is basically suppressing labour and increasing the margins.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, our intention is to protect the worker. That is the first priority. Their welfare, their health, their safety is most important for the Government. What the hon. Member has said is not true. But, wherever the necessity arises, we will try to amend the Act. And, whatever Acts are pending, they are also in the interest of labours only. They are not against the labours. They should not carry a wrong notion that the amendments, which have been brought forward by the Government, are against the labours. And, whatever we have amended, the hon. Member has himself congratulated, as far as gratuity is concerned, compensation is concerned. I hope, in future also, he will cooperate. So, I don't think that the Government is against the labour workers. We are for their welfare and safety.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Karimpuri. Put your question very quickly. We are left with only a few minutes.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले migrant labour के ऊपर अलग-अलग स्टेट्स में attacks हुए हैं, जिनमें काफी casualties भी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : सवाल labour laws पर है ... (**व्यवधान**)

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : यह सवाल मैं labour के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : Labour नहीं, labour laws पर सवाल पूछिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सभापति जी, जब हम labour laws बना रहे हैं, तो उनकी life security के लिए क्या प्रावधान करेंगे? जो migrant labour दूसरे स्टेटों में जाकर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर attacks हो रहे हैं, उनको वहां से भागने पर मजबूर किया जा रहा है, इसके लिए क्या preventive measures लिए जा रहे हैं, यह मंत्री जी बताएं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सभापति जी, अगर माननीय सदस्य इस बारे में separate question पूछेंगे, तो मैं Home Ministry से और दूसरी concerned Ministries से information लेकर इनको भेजूंगा।